''बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.''



पंजीयन क्रमांक '' छत्तीसगढ़/दुर्ग/ सी. ओ./रायपुर/17/2002.''

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 102]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 27 मई 2005—ज्येष्ठ 6, शक 1927

विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 मई 2005

क्रमांक 4646/21-अ/प्रारुपण/04.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्निलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 18-5-2005 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

> छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, • विमला सिंह कपूर, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम (क्रमांक 7 सन् 2005)

छत्तीसगढ़ (अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण) उपकर अधिनियम, 2005

अधोसंरचना विकास परियोजनाओं एवं पर्यावरण सुधार परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए कोच बनाने हेतु भूमि पर उपकर उद्ग्रहित करने हेतु अधिनियम.

यत: राज्य में विकास गतिविधियों एवं पर्यावरण सुधार को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में वृद्धि करना आवश्यक है.

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ.

- 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ (अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण) उपकर अधिनियम, 2005 है.
 - (2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा.
 - (3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

परिभाषाएं.

- 2. (1) इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो;—
 - (क) ''उपकर'' से अभिप्रेत है, इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन अधोसरचना विकास उपकर या धारा 4 के तहत् उदग्रहित पर्यावरण उपकर;
 - (ख) ''अधोसरचना विकास कोष ''से अभिप्रेत है, इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित कोष:
 - (ग) ''पर्यावरण कोष'' से अभिप्रेत है, इस अधिनियम की धारा 4 के अधीन स्थापित कोष;
 - ्(घ) ''खिन पट्टे'' से अभिप्रेत है, खान एवं खिनज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम,. 1957 (क्रमांक 67 सन् 1957) के अंतर्गत स्वीकृत पट्टा;
 - (ङ) ''विहित'' से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अंतर्गत निर्मित नियमों के द्वारा विहित;
 - (च) ''अधोसंरचना विकास उपकर की प्राप्तियां'' से अभिप्रेत है, इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन उदग्रहित उपकर की प्राप्तियां;
 - (छ) ''पर्यावरण उपकर की प्राप्तियां'' से अभिप्रेत है, इस अधिनियम की धारा 4 के अधीन उद्गृहित पर्यावरण उपकर की प्राप्तियां;
 - (2) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का जिनका इस अधिनियम में ठपयोग किया गया है, किन्तु उसमें परि-भाषित नहीं किया गया है, क्रमश: वहीं अर्थ होगा, जैसा कि छत्तीसगढ़ भू-राजस्व सहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (क्र. 67 सन् 1957) में उन्हें दिया गया है

इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि को एवं से, समस्त भूमि जिस पर भू–राजस्व या भू–भाटक, (1) अधोसंरचना विकास चाहे जिस नाम से जानी जाती हो उद्ग्रहित की गई हो, पर अधोसंरचना विकास उपकर उद्ग्रहित एवं संग्रहित की जाएगी. परन्तु भूमि, जो कुछ समय के लिए भू-राजस्व या भू-भाटक, यथास्थिति भुगतान से मुक्त है, अधोसंरचना विकास उपकर उद्ग्रहित नहीं की जाएगी. (2) अधोसंरचना विकास उपकर अनुसूची-एक में वर्णित दर पर लगाई जाएगी. इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि को एवं से, समस्त भूमि जिस पर भू-राजस्व या भू-भाटक, (1)4. पर्यावरण उपकर. चाहे जिस नाम से जानी जाती हो उद्ग्रहित की गई हो, पर पर्यावरण उपकर उद्ग्रहित एवं संग्रहित की जाएगी. परन्तु भूमिं, जो कुछ समय के लिए भू-राजस्व या भू-भाटक, यथास्थिति भुगतान से मुक्त है, पर्यावरण उपकर उद्ग्रहित नहीं की जाएगी. (2) पर्यावरण उपकर अनुसूची-दो में वर्णित दर पर उद्ग्रहित की जाएगी. 5. (1)एक कोष स्थापित होगा जिसका नाम अधोसंरचना विकास कोष होगा.

- अधोसंरचना विकास कोष,— (2)
 - (क) अधोसरंचना विकास उपकर की प्राप्तियां:
 - (ख) राज्य सरकार के द्वारा अनुदान की कोई राशि; और
 - अन्य जिस किसी स्रोत से प्राप्त होने वाली कोई अन्य राशि. (ग)

से मिलकर निर्मित होगा.

- (3)अधोसंरचना विकास कोष का राज्य सरकार द्वारा छत्तांसगढ़ राज्य में ऐसे अधोसंरचना विकास परि-योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए उपयोग किया जाएगा जैसी कि विहित किया जाए.
- एक कोष स्थापित होगा जिसका नाम पर्यावरण कोष होगा (1)6.

छत्तीसगढ पर्यावरण कोष.

छत्तीसगढ अधोसंरचना

विकास कोष.

- पर्यावरण कोष,— (2)
 - (क) पर्यावरण उपकर की प्राप्तियां;
 - राज्य सरकार के द्वारा अनुदान की कोई राशि; और (ख)
 - अन्य जिस किसी स्रोत से प्राप्त होने वाली कोई अन्य राशि (刊)

से मिलकर निर्मित होगा.

(3) पर्यावरण कोष का राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में ऐसे पर्यावरण परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए उपयोग किया जाएगा जैसी कि विहित किया जाए.

Definitions.	2.	(1)	In this Act, unless the context otherwise requires,—
	·	•	(a) "cess" means the infrastructure development cess levied under section 3 or the environment cess levied under section 4 of this Act;
			(b) "infrastructure development fund" means the fund established under section 3 of this Act;
			(c) "environment fund" means the fund established under section 4 of u Act;
			(d) "mining lease" means a lease granted under the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (No. 67 of 1957);
-			(e) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;
			(f) "proceeds of infrastructure development cess" means the proceeds of cess levied under section 3 of this Act;
	,		(g) "proceeds of environment cess" means the proceeds of cess levied under section 4 of this Act;
		(2)	The words and expressions used in this Act, but not defined therein, shall have the meaning respectively as assigned to them in the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) and the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (No. 67 of 1957).
Infrastructure de- velopment cess.	3.	(1)	On and from the date of commencement of this Act, there shall be levied and collected an infrastructure development cess on all lands on which land revenue or rent, by whatever name called, is levied.
			Provided that infrastructure development cess shall not be levied on land which for the time being is exempt from payment of land revenue or rent, as the case may be.
•		(2)	The infrastructure development cess shall be levied at the rate specified in Schedule-1.
Environment cess.	4.	(1)	On and from the commencement of this Act, there shall be levied and collected an environment cess on all lands on which land revenue or rent, by whatever name called, is levied.
			Provided that environment cess shall not be levied on land which for the time being is exempt from payment of land revenue or rent, as the case may be.
•		(2)	The environment cess shall be levied at the rate specified in Schedule-II.
Infrastructure Development Fund.	5.	(1)	There shall be established a fund to be called Infrastructure Development Fund.
Actions a min		(2)	The infrastructure development fund shall consist of.—
			 (a) the proceeds of infrastructure development cess, (b) any sum granted by the State Government, and (c) any other sum received from any source whatsoever.

	(3)	The infrastructure development fund shall be utilized by the State Government for implementation of such infrastructure development projects in the State of Chhattisgarh as may be prescribed.	•
€.	(1)	There shall be established a fund to be called Environment Fund.	Environment Fund.
,	(2)	The environment fund shall consist of,—	
		 (a) the proceeds of environment cess; (b) any sum granted by the State Government; and (c) any other sum received from any source whatsoever. 	
	(3)	The environment fund shall be utilized by the State Government for implementation of such environment projects in the State of Chhattisgarh as may be prescribed.	
7:	· · (1)	Cess levied under section 3 and 4 of the Act shall be assessed in such manner as may be prescribed.	Assessment and collection of cess.
	(2)	The cess levied under this Act shall be collected as an arrear of land revenue and provisions of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) shall apply mutatis mutandis for such collection and recovery.	
, 8.	(1)	The State Government may, by a notification to be published in the Official Gazette, amend any Schedule to this Act for revising the rate of any cess.	Amendment of Schedules.
		Provided that the rate of any cess shall not be revised more than once in any consecutive period of three years.	
. :		Provided further that the rate of any cess shall not be increased by more than fifty percent of the existing rate by any notification to be issued under this sub section.	
	(2)	Every notification issued under sub-section (1) shall be laid immediately before the Legislative Assembly of the State if it is in session, and if it is not in session, in the session immediately following the date of such notification.	•
9.	(1)	The State Government may make rules for carrying out the purposes of this Act.	Power to make rules.
	(2)	Every rule made under this Act shall be laid immediately before the Legislative Assembly of the State if it is in session, and if it is not in session, in the session immediately following the date on which such rule is notified.	•

SCHEDÛLE-I (See section 3)

S. No.	Classification of Land . (2)	Rate of development cess (3)
1.	On land covered under coal and iron ore mining leases.	Rupees 5 on each tonne of annual dispatch of mineral.
2.	On land covered under mining leases other than (1) above.	5 percent of the amount of royalty payable annually.
3.	On land other than land covered under (1) and (2) above.	5 percent of the amount of land revenue or rent, as the case may be, payable annually.

SCHEDULE-II (See section 4)

S. No. (1)	Classification of Land (2)	Rate of environment cess (3)
1.	On land covered under coal and iron ore mining leases.	Rupees 5 on each tonne of annual dispatch of mineral.
2.	On land covered under mining leases other than (1) above.	5 percent of the amount of royalty payable annually.
3.	On land other than land covered under (1) and (2) above.	5 percent of the amount of land revenue or rent, as the case may be, payable annually.

र रिकासमान प्रजापन, दिनांक 22 अमेरत 2013

'बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन् क्रमांक "छत्तीसगढ्/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

को और संगोधिक अर देश अधिनियम,

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 373]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 22 अगस्त 2013—श्रावण 31, शक 1935

विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 अगस्त 2013

क्रमांक 7977/डी. 255/21-अ/प्रारू./छ. ग./13.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 31-07-2013 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

> छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

क्षेत्रक १९४७ हैं। १९५७ हो नार्यक के मार्यक के प्रतिपाल के अनुष्केंद्र इस्तर के क्षेत्रह (3) के अर भारत में इस्त कार

त्वभाग्रेयना विवास एवं वर्गवरण वर्गवर (संशोधन) आयोगमन २०१३ (समाक १३ १५ १८)) का अरोबी अनुबाद राष्ट्रपण्य के प्रविकास

To Minister

Talue contra afficiona de la contra del la contra del la contra del la contra del la contra de la contra de la contra del la contra d

छत्तीसगढ़ अधिनियम (क्रमांक 33 सन् 2013)

छत्तीसगढ़ (अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण) उपकर (संशोधन) अधिनियम, 2013

छत्तीसगढ़ (अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण) उपकर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 7 सन् 2005) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1.

2.

如此所以此為以及此,由於此時間

- (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ (अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण) उपकर (संशोधन) अधिनियम, 2013 कहलायेगा.
- (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

अनुसूची-एक का संशोधन. छत्तीसगढ़ (अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण) उपकर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 7 सन् 2005), (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में विनिर्दिष्ट है) की अनुसूची-एक के कॉलम (2) के सरल क्रमांक 1 में, शब्द "कोयले तथा लौह अयस्क खिन पट्टों के अन्तर्गत आच्छादित भूमि पर" के स्थान पर, शब्द "कोयले, लौह अयस्क, लाईम स्टोन, बाक्साईट तथा डोलोमाईट खिन पट्टों के अन्तर्गत आच्छादित भूमि पर" अन्तःस्थापित किया जाये.

अनुसूची-दो का 3. संशोधन. मूल अधिनियम की अनुसूची-दो के कॉलम (2) के सरल क्रमांक 1 में, शब्द "कोयले तथा लौह अयस्क खिन पट्टों के अन्तर्गत आच्छादित भूमि पर" के स्थान पर, शब्द "कोयले, लौह अयस्क, लाईम स्टोन, बाक्साईट तथा डोलोमाईट खिन पट्टों के अन्तर्गत आच्छादित भूमि पर" अन्तःस्थापित किया जाये.

रायपुर, दिनांक 22 अगस्त 2013

क्रमांक 7977/डी. 255/21-अ/प्रारू./छ. ग./13.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ (अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण) उपकर (संशोधन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 33 सन् 2013) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT (No. 33 of 2013)

CHHATTISGARH (ADHOSANRACHANA VIKAS EVAM PARYAVARAN) UPKAR (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2013

An Act further to amend the Chhattisgarh (Adhosanrachana Vikas Evam Paryavaran) Upkar Adhiniyam, 2005 (No. 7 of 2005).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-fourth Year of the Republic of India, as follows :-

- This Act may be called the Chhattisgarh (Adhosanrachana Vikas Evam Short title. 1. (1) commencement. Paryavaran) Upkar (Sanshodhan) Adhiniyam, 2013.
 - It shall come into force from the date of its publication in the Official (2)Gazette.
- In serial number 1 of column (2) of Schedule-I of the Chhattisgarh (Adhosanrachana Schedule-I. Vikas Evam Paryavaran) Upkar Adhiniyam, 2005 (No. 7 of 2005), (hereinafter referred to as the Principal Act), for the words "On land covered under coal and iron ore mining leases", the words "On land covered under coal, iron ore, lime stone, bauxite and dolomite mining leases" shall be substituted.

substituted.

In serial number 1 of column (2) of Schedule-II of the Principal Act, for the words "On Amendment 3. Schedule-II. land covered under coal and iron ore mining leases", the words "On land covered under coal, iron ore, lime stone, bauxite and dolomite mining leases" shall be

and